प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 25.12.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया द्वारा वैज बिरयानी के ठेले से वेज बिरयानी पैक कराकर घर ले गयी थी और खाने के लिये बैठने पर उसमें हड्डी का टुकडा मिला तथा बिरयानी की दुकान पर जाकर बताने पर वेज बिरयानी वाले द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी जिसका असली नाम राशिद है व राहुल के नाम से बिरयानी बेच रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा-272/274/275/351(2)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्त राशिद उर्फ राहुल पुत्र वाशिद निवासी 100 फुटा रोड नीलम फैक्ट्री के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उपरोक्त जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरा नाम राशिद है और मैं 80 फुटा चौराहा नीलम फैक्ट्री के सामने इन्द्रापुरी क्षेत्र में वेज बिरयानी की ठेली लगाता हूँ। मैंने एक बिरयानी बेची थी जिसमें हड्डी मिलने की शिकायत महिला द्वारा की गयी थी जिनसे मेरी कहासुनी हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राशिद उर्फ राहुल पुत्र वाशिद निवासी 100 फुटा रोड नीलम फैक्ट्री के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में प्रकाश में आये वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को कोई अज्ञात लेकर चला गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात पीडिता को बरामद किया गया तथा अभियुक्तगण 1.विकास कश्यप 2.बिजेन्द्र कश्यप का नाम प्रकाश में आया। बरामदगी व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा

64(1)/142/115(2) बीएनएस व 16/17/3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.विकास कश्यप पुत्र सुरेश कश्यप निवासी नाला रोड खेकडा किरायेदार, थाना खेकडा जिला बागपत स्थाई पता करनाल शामली रोड थाना कोतवाली शामली जिला शामली 2.बिजेन्द्र कश्यप पुत्र सोमपाल सिंह निवासी निर्मल इन्कलेव रेलवे फाटक के पास थाना खेकडा जिला बागपत को खेकडा गेट से सामने दिल्ली शामली रोड जनपद बागपत से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त विकास ने बताया कि मेरी वादिया की पुत्री से इंस्टाग्राम के माध्यम से जान-पहचान हुई थी, मैं उसे अपने साथ दीदी-जीजा के घर खेकडा जनपद बागपत लेकर चला गया था जहाँ पर मैंने उसके साथ गलत काम किया। मेरे जीजा ने उसके साथ मारपीट की और उससे मजदूरी व घर का सारा काम करवाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.विकास कश्यप पुत्र सुरेश कश्यप निवासी नाला रोड खेकडा किराये का मकान, थाना खेकडा जिला बागपत स्थाई पता करनाल शामली रोड थाना कोतवाली शामली जिला शामली उम्र करीब 24 वर्ष

2.बिजेन्द्र कश्यप पुत्र सोमपाल सिंह निवासी निर्मल इन्कलेव रेलवे फाटक के पास, थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.12.2025 को थाना मसूरी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त वंश नेहरा पुत्र अनिल नेहरा द्वारा दिनांक 16.09.25 व 12.10.2025 को होटल में ले जाकर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर वादिया के साथ गलत काम करना व जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 64/123/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.12.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वंश नेहरा पुत्र अनिल नेहरा निवासी ग्राम अमीरपुर वडायला थाना मसूरी मूल पता पतला थाना निवाडी थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने मामा के यहां ग्राम अमीरपुर वडायला थाना मसूरी गाजियाबाद में रहता हूं। मेरी यहां उपरोक्त पीडिता लडकी से जान पहचान हो गयी थी जिसको मैंने बहला फुसलाकर होटल ले जाकर गलत काम किया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वंश नेहरा पुत्र अनिल नेहरा निवासी ग्राम अमीरपुर वडायला थाना मसूरी मूल पता पतला थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.12.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ जीत अहिरवार पुत्र स्व0 किसना अहिरवार निवासी मूल पता ग्राम देरी थाना ओरछा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हाल पता डी-296 विवेक विहार थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष ने दुष्कर्म की घटना कारित की है । घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना लिंकरोड पर धारा 64 बीएनएस व ¾ पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 24/25.12.2025 की रात्रि को थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त जीत अहिरवार पुत्र स्व0 किसना अहिरवार निवासी मूल पता ग्राम देरी थाना ओरछा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हाल पता डी-296 विवेक विहार थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष को रंगोली तिराहा लिंकरोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जीत अहिरवार उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा में धारा 64(2)(च), 351(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त जीत अहिरवार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मध्य प्रदेश का रहने वाला है और बैक टू बैसिक टिकवान्डो डान्स सैन्टर स्थित बी 12 ब्लाक बी पंजाब नैशनल बैंक के नीचे रामप्रस्थ कॉलोनी सूर्यनगर गाजियाबाद में डान्स सिखाता है । वादी की पुत्री वहीं पर डान्स सीखने के लिए आती थी, उसी दौरान अभियुक्त की बातचीत वादी की पुत्री से होती थी । अभियुक्त धीरे-धीरे वादी की पुत्री को पंसद करने लगा और इसी दौरान अभियुक्त ने वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जीत अहिरवार पुत्र पुत्र स्व0 किसना अहिरवार निवासी मूल पता ग्राम देरी थाना ओरछा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हाल पता डी-296 विवेक विहार थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष ।

गिरपफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त जीत अहिरवार उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।